न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 216/2016

हरनेक सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 जगसीर सिंह पुत्र लाभ सिंह
2 जसवीर कौर पुत्री लाभ सिंह
3 प्रकाश कौर पुत्री लाभ सिंह
} जाति जटसिख निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4 मूलाराम पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी गांव 18 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5 ओम प्रकाश
6 कृष्ण लाल
7 अमी लाल
} पिसरान सुलतान राम जाति जाट निवासीयान गांव नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता	वादी
2. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. श्री अनिरूद्ध खालिया अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 5 ता 7
4. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 8

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.11.2019

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 17 जी.जी. की खतौनी संख्या 31/33 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 1 से 25 में 6.325 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर नहरी कुल 12.650 हैक्टर नहरी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कागजात माल है जिसमें वादी के नाम से 3.162 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता सांझा रहने से लगान व आबयाना देने में, पानी की भराई खिंचाई में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें आती है व बैंक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान में कई प्रकार की कानूनी दिक्कतें आती है। इस कारण हक व हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त अनुसार खाता तकसीम करवाना आवश्यक व जरूरी है।

घरू बंटवारा अनुसार, हक व हिस्सा अनुसार वादी के कब्जा में रकबा निम्न प्रकार आया है :–

मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 3 में 0.127 हैक्टर किला नम्बर 4 ता 7 सालम, किला नम्बर 8 में 0.126 हैक्टर किला नम्बर 13 में 0.127 हैक्टर किला नम्बर 14 ता 17 सालम, किला नम्बर 18 में 0.126 हैक्टर किला नम्बर 23 में 0.127 हैक्टर किला नम्बर 24 व 25 सालम कुल 3.162 हैक्टर रकबा कब्जा काश्त में है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा

कि घरू बंटवारा अनुसार हक व हिस्सा अनुसार हम सब मिलकर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति देकर खाता विभाजन करवा लें। पहले तो वे आज कल आज कल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये और कहने लगे कि हम तो अपना खाता तकसीम नहीं करवाते हैं न ही आपके पक्ष में सहमति के ब्यान करते है। आपको जो करना है सो करो। बस यही बिनाये दावा है जो वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल हुआ है। राजस्थान सरकार भूमि की मालिक व आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है मगर उसके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अन्य प्रतिवादीगण सह काश्तकारान हैं इसलिए उन्हें प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

वादी द्वारा वादी निम्न प्रकार डिग्री किये जाने बाबत निवेदन किया :–

(क) घोषित किया जावे कि वादी, वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार भूमि का खातेदार काश्तकार होने के कारण खाता तकसीम करवाने का अधिकारी हैं।

(ख) इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबयाना अलग अलग कायम किया जावे जिसकी पृविष्टि राजस्व रिकार्ड में भी की जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व हम वादी के हित में हो प्रदान की जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादी ने आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अनुसार अलग से हस्ताक्षरयुक्त रजिस्टर्ड पता पेश नहीं किया, जिसके अभाव में दावा वादी खारिज करने योग्य है। चक 17 जी.जी. के खाता संख्या 31/33, मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 25 का 6.325 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 52 का 6.325 हैक्टर कुल 12.650 हैक्टर मुश्तरका खाता में दर्ज होना स्वीकार है। मुश्तरका खाता में दर्ज होने से भूमि सुधार में हम प्रतिवादीगण को भी बाधा पैदा हो रही है जबकि मौके पर घरू बंटवारा के अनुसार हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, सालम सालम व किला नम्बर 2 में 18 बिस्वा व किला नम्बर 21 में 2 बिस्वा जो रास्ता के लिये ली हुई है, कब्जा काश्त में चली आ रही है। इस प्रकार कुल 20 बीघा हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। तथा इस मुरब्बा के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 सालम सालम किला नम्बर 2 में 2 बिस्वा व किला नम्बर 21 में 18 बिस्वा कुल 5 बीघा प्रतिवादी संख्या 4 मूलाराम के कब्जा में है, शेष भूमि वादी व अन्य प्रतिवादीगण के कब्जा में है। वाद–पत्र की चरण संख्या 4 की साक्ष्य वादी से ली जावें क्योकि वह अपने कब्जा काश्त की भूमि को साबित कर सकता है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 के जवाब में निवेदन है कि हम प्रतिवादीगण ने अपने कब्जा की भूमि विभाजन में हमारे नाम दर्ज करवाने व खाता का विभाजन करवाने में कभी कोई आपति नहीं की। वाद–पत्र की चरण संख्या 8 में खाता विभाजन से कोई इंकारी नहीं है मगर हम प्रतिवादीगण के कब्जा में जो 20 बीघा भूमि मुरब्बा नम्बर 39 में चली आ रही है वह खाता विभाजन में हमारे नाम किला वाईज दर्ज की जावें, इस सम्बंध में काउंटर कलेम भी पेश है। लिहाजा जवाब दावा पेश करके अर्ज है कि खाता का विभाजन करते हुए हमारे कब्जा काश्त की भूमि हमारे नाम किलावाईज दर्ज करने का आदेश फरमायाँ जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा अपनें जबाब दावा के साथ काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत निवेदन किया कि चक 17 जी.जी. तहसील श्री गंगानगर के खाता

हैक्टर जो मुश्तरका खाता में दर्ज है का घरू बंटवारा होकर अरसा दराज से हम प्रतिवादीगण निम्नलिखित कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं :–

मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, सालम सालम व किला नम्बर 2 में 18 बिस्वा व किला नम्बर 21 में 2 बिस्वा जो रास्ता के लिए ली हुई है, कुल 20 बीघा कब्जा काश्त में चली आ रही है। काउंटर कलेम कर्तागण ने उपरोक्त भूमि पर भारी मेहनत व काफी रुपया लगाकर सुधार किया है, अतः वह विभाजन में उपरोक्त भूमि किलावाईज अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है मगर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने जानबूझकर दर्ज करवाने से इंकार किया है, अतः काउंटर कलेम डिक्री किया जाकर किलावाईज हमारे नाम दर्ज करना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 4 की विधिवत तामिल होनें के उपरान्त भी न्यायालय में असालत/वकालतन उपस्थित नहीं आनें पर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध दिनांक 20.03.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को जबाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करनें पर भी जबाब प्रस्तुत नहीं करनें पर दिनांक 12.10.2018 को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का जबाब दावा बन्द किया गया

प्रतिवादी संख्या 8 स्टेट की और से पैरोकारराज द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद पत्र को सिद्ध करनें का भार वादी का है। राज्य पक्ष से किसी प्रकार को कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वादपत्र में प्रतिवादीगण का जबाब आनें उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि वाद पत्र में वर्णित संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से वादी के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 52 का किला नम्बर 3/.127, 4 ता 7 सालम, 8/.126, 13/.126, 14 ता 17 सालम, 18/.126, 23/.126, 24, 25 सालम कुल 3.162 हैक्टर वाके चक 17 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर है जिसका खाता विभाजन करवानें का वादी विधिक अधिकारी है ? – – वादी
2. आया कि काऊन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी मद संख्या 1 का काऊन्टर क्लेम में अंकित भूमि का विभाजन करवाकर अपनें नाम से अंकन करवा पानें का अधिकारी है ? – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. अनुतोष

उक्त तनकीयात को सिद्ध करनें हेतु उभयपक्ष द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया वाद विभाजन का है जिसमें मुताबिक जमाबन्दी प्रत्येक सहकाश्तकार की भूमि का विभाजन न्यायालय द्वारा किया जाना है भूमि के कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है अतः प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। वादी अधिवक्ता के कथनों का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा कोई विरोध नहीं किये जानें पर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि उभयपक्ष विवादित आराजी में सहखातेदार है तथा अपनें हिस्से तक की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। इस कारण वाद वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्तात जरिए क्रमांक भू.अ./2019/3728 दिनांक

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही वाद डिक्री किये जाने बाबत अनापत्ति जाहिर करते हुए वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नलिखित पक्षकारों को खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	रकबा विवरण
1	हरनेक सिंह पुत्र गुरदयाल	मुरबा नम्बर 52 किला नं. 3(0.127), 4 ता 7(0.012), 8(0.126), 13(0.127), 14 ता 17(1.012), 18(0.126), 23(0.127), 24 व 25(0.506) कुल 3.162 हैक्टर नहरी
2	ओमप्रकाश(0.063), कृष्णलाल (0.050), अमीलाल(0.050) पिसरान सुलतान राम	मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1–2(0.506), 3(0.126), 8(0.127), 19 ता 22(1.012), 23(0.126) कुल 3.163 हैक्टर नहरी
3	मूलाराम पुत्र हरीराम	मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 1(0.253), 2(0.25), 10 व 11(0.506), 20(0.253), 21(0.228) कुल 1.265 हैक्टर नहरी
4	जगसीरसिंह पत्र लाभसिंह	मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 2(0.228), 3 ता 9(1.771), 12 ता 19(2.024), 21(0.025), 22 ता 25(1.012) कुल 5.060 हैक्टर नहरी

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04 नवम्बर, 2019 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.27 17:35:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: